

भाग-III

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्तावक संख्या-(FP/UK/TRANS/154613/2022)

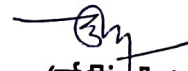
प्रस्ताव का नाम-जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत 126 कि०मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल मार्ग को विद्युत आपूर्ति हेतु 33 के०वी० विद्युत लाईन का गुल्लर सबस्टेशन से शिवपुरी टनल-टी-02 के निर्माण हेतु 1.68 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लि० टिहरी गढ़वाल को प्रत्यावर्तन ।

1. स्थल, जहाँ को वन भूमि शामिल की गयी है
क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण
किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख
और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।
नहीं
2. क्या संबंधित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी
सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से
सहमत है।
हाँ
3. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में
संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।
संस्तुति की जाती है।

तिथि-...०१/०८/२२

स्थान-...मुन्सिरी

हस्ताक्षर


(धर्म सिंह मीणा)
वनसंरक्षक,
भागीरथी वृत्त

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए
राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
(राय देते समय, संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल
टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

तिथि-.....

स्थान-.....

हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम